## <u>न्यायालयःश्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

\\	
KO, M.	आप.प्रकरण.क.—648 / 2013
4 4	संस्थित दिनांक—15.07.2013
A They	<u>फाईलिंग क. 234503004952013</u>
मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र–बिरसा,	
जिला–बालाघाट (म.प्र.)	<u>अभियोजन</u>
/ विरुद्ध //	
नारायण उर्फ नरेन्द्र पिता चन्द्राम, उम्र–26 वर्ष, जाति लो	हार,
निवासी–ग्राम चिचगांव, थाना बिरसा,	
जिला–बालाघाट (म.प्र.)	– – – – – – आरोपी
// निर्णय /	/

## // निर्णय // (<u>आज दिनांक-09/05/2016 को घोषित)</u>

- 1— आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—379 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—09.07.2013 को दिन के 10:00 बजे थाना बिरसा अंतर्गत दमोह—बिरसा—सालेटेकरी मेन रोड में फरियादी चैनसिंह के आधिपत्य की मोटरसाईकिल कमांक—सी.जी—09/डी—9305 को उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक हटाकर चोरी की।
- 2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि फरियादी चैनसिंह मरकाम ने थाना बिरसा में लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक—09.07. 2013 को सुबह करीब 9:30 बजे वह अपने दामाद संतोष मेरावी के साथ ग्राम मंडई बाजार जा रहा था, तो ग्राम दमोह से 1 कि.मी. पहले नाला के पास बिरसा—सालेटेकरी रोड़ पर वे लोग गाडी को किनारे चाबी लगी छोड़कर पेशाब करने के लिए थोड़े अंदर गए तो उसी समय एक लड़का उनकी गाड़ी को चालू करके दमोह तरफ भागने लगा। उसी समय दो—तीन मोटरसाईकिल वाले ग्राम सुन्दरवाही से ग्राम दमोह की तरफ जा रहे थे, जिन्होंने उसका पीछा किया और उसे पकड़ा, तो आरोपी के साथ उनकी झूमा—झपटी एवं मारपीट हुई। जब वे लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे तो राहगीर मोटरसाईकिल वालों ने आरोपी तथा मोटरसाईकिल को उन्हें सौंप दिया। वे अपनी

मोटरसाईकिल से ग्राम जमुनिया आए ओर वहां आरोपी से नाम पूछा तो उसने अपना नाम नारायण पिता चंद्राम, उम्र—35 वर्ष, निवासी—ग्राम चीचगांव बताया। पुलिस द्वारा आरोपी नारायण के विरूद्ध अपराध क्रमांक—90/2013, धारा—379 भा.दं.वि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस ने विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया। विवेचना के दौरान आरोपी के मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध किये एवं चोरी की गई मोटरसाईकिल जप्त कर जप्तीपंचनामा तैयार कर साक्षियों के कथन लेख किये गए तथा आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—379 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म करना अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष व झूठा फॅसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी के द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

## 4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:--

1. क्या आरोपी ने दिनांक-09.07.2013 को दिन 10:00 बजे थाना बिरसा अंतर्गत दमोह-बिरसा-सालेटेकरी मेन रोड में फरियादी चैनसिंह के आधिपत्य की मोटरसाईकिल क्रमांक-सी.जी-09/डी-9305 को उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक हटाकर चोरी की ?

## विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष :-

5— फरियादी चैनसिंह (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से करीब दो साल पूर्व की है। वह अपने दामाद संतोष, के साथ मोटरसाईकिल से दामाद के घर जा रहा था। रास्ते में वह गाड़ी खड़ी करके लघुशंका के लिए गया और जब वापस आया तो आरोपी उसकी गाड़ी लेकर भाग गया था। फिर उसने अपनी गाड़ी खोजने का प्रयास किया और दूसरे दिन थाना बिरसा में रिपोर्ट लेख कराई, जो प्रदर्श पी—5 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस घटनास्थल पर नहीं आई थी और न ही उसकी

निशानदेही पर घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी—6 बनाया था, किन्तु उसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। पुलिस ने घटना के संबंध में उससे पूछताछ की थी। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि जब आरोपी मोटरसाईकिल लेकर भाग रहा था, तो उसने आरोपी को पकड़ने के लिए पुकार लगाई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि मोटरसाईकिल कौन लेकर भागा था, उसने उसका चेहरा नहीं देखा था तथा यह बात उसने अपनी लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी—7 में नहीं बताई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि मोकानक्शा प्रदर्श पी—6 में उसने पुलिसवालों के कहने पर थाने में हस्ताक्षर कर दिए थे। साक्षी ने कहा है कि उसने आरोपी को न्यायालयीन परीक्षण के पूर्व कभी नहीं देखा था।

6— संतोष मेरावी (अ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना उसके बयान देने के लगभग दो—तीन माह पूर्व की है। घटना दिनांक को वह अपने ससुर के साथ मोटरसाईकिल से ग्राम चिचगांव आ रहा था और वह होटल में चाय पीने के लिए गया था। गाड़ी होटल के सामने खड़ी कर दी थी, तभी उनकी गाड़ी को एक लड़का लेकर भाग गया था। फिर कुछ लोगों ने गाड़ी सहित आरोपी को पकड़ा, तब वह आरोपी को थाना लेकर गया था। पुलिसवालों ने मोटरसाईकिल जप्ती पत्रक प्रदर्श पी—1 के अनुसार जप्त की थी, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके सामने आरोपी ने प्रदर्श पी—2 का मेमोरेण्डम कथन नहीं दिया था, किन्तु अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने प्रदर्श पी—2 का मेमोरेण्डम कथन पुलिस को लेख कराया था और बताया था कि वह मोटरसाईकिल कमांक—सी.जी—09/डी—9305 को लेकर भाग गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि वह आरोपी के विरुद्ध झूठी गवाही दे रहा है।

7— वजुल खान (अ.सा.4) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। आरोपी ने उसके समक्ष पुलिस को क्या बताया था, वह उसे ध्यान नहीं है। मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी—2 के ब से ब भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। पुलिस ने आरोपी से एक मोटरसाईकिल जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—1 के अनुसार जप्त

की थी, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने कहा है कि आरोपी ने पुलिस को उसके समक्ष यह नहीं बताया था कि वह मोटरसाईकिल क्रमांक—सी.जी—09/डी—9305 को लेकर भाग गया था। साक्षी ने कहा है कि घटना पुरानी होने के कारण उसे याद नहीं है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि पुलिस ने किस क्रमांक की मोटरसाईकिल जप्ती की थी, उसे याद नहीं है।

- 8— अभियोजन साक्षी अमरित (अ.सा.2), राधेलाल (अ.सा.3) को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित किया गया। साक्षी अमरित (अ.सा.2) ने कहा है कि उसे चैनसिंह ने बताया था कि आरोपी उसकी गाड़ी चोरी करके ले गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को बयान नहीं दिया है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसे घटना के विषय में जानकारी नहीं है। साक्षी राधेलाल (अ.सा.3) ने कहा है कि उसे जानकारी हुई थी कि चैनसिंह की मोटरसाईकिल चोरी हो गई थी और बाद में चोरी करने वाला पकड़ा गया था। अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि उसने प्रदर्श पी—4 का कथन पुलिस को लेख कराया था।
- 9— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—379 का अपराध किये जाने का अभियोग है। साक्षी चैनसिंह (अ.सा.5) ने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि घटना दिनांक को उसने गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी कर दी थी तो आरोपी गाड़ी लेकर भाग गया था। उस दिन उसने गाड़ी खोजी थी उसके पश्चात् दूसरे दिन थाना बिरसा में रिपोर्ट दर्ज कराई। चोरी के परिप्रेक्ष्य में साक्षी ने कहा कि जब वह लघुशंका से वापस आया था, तब आरोपी भाग गया था और उसे घटना के तीसरे दिन पकड़ा गया। इस संबंध में अभियोजन साक्षी संतोष मरावी (अ.सा.1) ने कहा है कि आरोपी मोटरसाईकिल लेकर भाग रहा था, तब गाड़ी होटल के सामने खड़ी कर दी थी और वे लोग चाय पीने के लिए गए थे। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी—5 में घटना का विवरण इस प्रकार है कि घटना दिनांक—09.07.2013 को जब फरियादी लघुशंका के लिए अंदर गए तभी एक लड़के ने मोटरसाईकिल चालू की और भाग गया। फरियादी ने अन्य मोटरसाईकिल से आरोपी का पीछा करके पकड़ा था और उनके बीच झूमाझटकी,

मारपीट हुई । इस प्रकार घटना के चक्षुदर्शी साक्षी के न्यायालयीन परीक्षण में तथा घटना के विषय में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-5 में महत्वपूर्ण विरोधाभास है। प्रकरण में अभियोजन साक्षी अमरित (अ.सा.2) ने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। साक्षी राधेलाल (अ.सा.३), वजूल खान (अ. सा.4) ने अभियोजन कहानी के विपरीत यह कहा है कि आरोपी ने उनके समक्ष यह नहीं बताया कि घटना दिनांक को आरोपी मोटरसाईकिल चोरी करके ले गया। प्रकरण में अभियोजन साक्षियों द्वारा विरोधाभासी कथन किये जाने से यह घटना संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। आरोपी को संदेह का लाभ दिया जाना उचित होगा। अतः आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-379 में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है 🃈

प्रकरण में आरोपी दिनांक—10.07.2013 से दिनांक—19.09.2013 तक, दिनांक-07.05.2014 से दिनांक-16.09.2014 तक, दिनांक-22.08.2015 से निर्णय दिनांक-09.05.2016 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध रहा है। आरोपी के द्वारा प्रकरण में व्यतीत की गई न्यायिक अभिरक्षा के संबंध में धारा-428 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पृथक से प्रमाणपत्र संलग्न किया जाये।

प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाईकिल सी.डी. डिलक्स क्रमांक-सी. जी-09 / डी-9305 सुपुर्ददार ब्रजलाल पिता चैनसिंह मरकाम, निवासी-पुलिस लाईन कवर्धा, जिला कबीरधाम (छत्तीसगढ़) को सुपुर्दनामा पर दिया गया है, अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्दनामा उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में उक्त संपत्ति के संबंध में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावें। STINGTS PAPEL

cSgj] दिनांक-09.05.2016 निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

(श्रीष कैलाश शुक्ल) न्या.मजि.प्र.श्रेणी. बैहर. जिला-बालाघाट